रोडर

11/10/19 आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से
Not press दावा पत्रावली आज को प्रेषण तिथि नियत की
Adjourn गयी है। ऐसी स्थिति में इस पत्रावली का
2 कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः इस
पत्रावली की आगे कार्यवाही इसी तिथि पर पेश
वकीलसाहब के प्रेषण करके पत्र को प्रेषण
दिनांक की जाती है। एक पूर्व में जारी
अन्तरिम आदेश निरस्त किये जाते हैं। फैसल
शुमारे नम्बर 6 कर दी। वादिगण
चलाने हेतु दावा रहे। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रोडर (अलवर) राज.